# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—441 / 2015 / 225 (2015 / 00004)**

1. मु0 बिदाम पत्नि रामेश्वर, जाति भाट,
2. मदनलाल पुत्र रामेश्वर, जाति भाट,
3. रणजी पुत्र रामेश्वर, जाति भाट,
4. शिशुपाल पुत्र रामेश्वर, जाति भाट,
5. कैलाश पुत्र रामेश्वर, जाति भाट,
6. राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर, जाति भाट,

समस्त निवासी ग्राम रूपनगढ़, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

**अपीलांटस**

**बनाम**

1. श्रीमती कमला पत्नि प्रभू, जाति भाट,
2. गोपाल पुत्र प्रभू, जाति भाट,
3. रामस्वरूप पुत्र प्रभू, जाति भाट,
4. धारासिंह पुत्र प्रभू, जाति भाट,
5. नारसिंह पुत्र प्रभू, जाति भाट,
6. श्रवण उर्फ पप्पू पुत्र प्रभू, जाति भाट,
7. बुद्धाराम उर्फ मुकेश पुत्र प्रभू, जाति भाट,
8. पारसी पुत्री प्रभू, जाति भाट,
9. कोशल्या पुत्री प्रभू, जाति भाट,
10. राजू पुत्री प्रभू, जाति भाट,
11. मालचन्द पुत्र दीनदयाल, जाति भाट,
12. मंगतूराम पुत्र दीनदयाल, जाति भाट,
13. मनोहर पुत्र दीनदयाल, जाति भाट,
14. महावीर पुत्र दीनदयाल, जाति भाट,
15. ओमप्रकाश पुत्र दीनदयाल, जाति भाट,
16. गजी देवी पत्नि जगदीश, जाति भाट,
17. बाबूलाल पुत्र जगदीश, जाति भाट,
18. महावीर पुत्र जगदीश, जाति भाट,
19. प्रहलाद पुत्र जगदीश, जाति भाट,
20. प्रेम पुत्री जगदीश, जाति भाट,
21. छोटूराम पुत्र जगदीश, जाति भाट,
22. विमला पुत्री जगदीश, जाति भाट,
23. लक्ष्मी पुत्री जगदीश, जाति भाट,
24. सोहनी पुत्री जगदीश, जाति भाट,
25. ज्ञाना पुत्री जगदीश, जाति भाट,
26. रामस्वरूप पुत्र जगदीश, जाति भाट,
27. संता पुत्री पूरण, जाति भाट,
28. राधाकिशन पुत्र रामचन्द्र, जाति भाट,

    समस्त निवासीगण ग्राम रूपनगढ़, तह0 रूपनगढ, जिला अजमेर ।
29. उप पंजीयक, रूपनगढ़ ।
30. तहसीलदार, रूपनगढ़ ।

**रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ दिनांक 7.10.2015 अंतर्गत प्रकरण संख्या 114 / 2014.**

**उपस्थितः—**

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री गिरीश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 3, 6, 8, 10, 12, 14, 22, 25, 28.
3. रेस्पो0 संख्या 7, 9, 11, 15, 23, 24, 26 व 27 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 29 व 30.

## निर्णय

**दिनांकः—10.6.2019**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 7.10. 2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/प्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 28 एक ही परिवार के सदस्य है । प्रार्थीगण के पिता/पति रामेश्वर व अप्रार्थी संख्या 1 से 27 के पति व पिता तथा अप्रार्थी संख्या 28 सहोदर भाई है जिसमें रामेश्वर, प्रभू, दीनदयाल, जगदीश व पूरण का स्वर्गवास हो चुका है जो कि रामचन्द्र का पुत्र है तथा वादपत्र/प्रार्थना पत्र में आगे कथन किया कि रामचन्द्र पुत्र मोहनलाल को आराजी खसरा नंबर 2386 वर्तमान 2210 की 15 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 24.6.1960 को किया गया । रामचन्द्र का स्वर्गवास हो चुका है तथा रामचन्द्र के विधिक वारिसान प्रार्थीगण 1/6 हिस्से के तथा 1/6 हिस्से के अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10, 1/6 हिस्से के अप्रार्थी संख्या 11 से 15, 1/6 हिस्से के अप्रार्थी संख्या 16 से 25 तथा 1/6 हिस्से के अप्रार्थी संख्या 26 व 27 एवं अप्रार्थी संख्या 1/6 हिस्सा है । इसलिये वादग्रस्त आराजी 15 बीघा के 1/6 हिस्से का विभाजन करवाने के अधिकारी है । साथ ही खसरा नंबर 2386 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 2210 में से 10 बीघा भूमि का आवंटन प्रार्थीगण के पिता/पति को दिनांक 24.6.1960 को किया गया था उक्त 10 बीघा आराजी पर पूर्व में रामेश्वर तथा रामेश्वर के स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है तथा भूमि के चारों तरफ मिट्टी की डोल लगा रखी है लेकिन प्रार्थीगण के पति/पिता रामेश्वर को आवंटित उक्त 10 बीघा भूमि में से 7 बीघा 15 बिस्वा को भी रामचन्द्र की आवंटित आराजी 15 बीघा में सम्मिलि कर दिया गया तथा नामांतकरण संख्या 462 दिनांक 20.1.1983 में 15 बीधा दर्ज की जानी चाहिये थी । इसलिये उक्त नामांतकरण प्रार्थीगण के विरूद्ध शून्य व प्रभावहीन है । अप्रार्थीगण संख्या 1 से 28 का रामेश्वर वल्द रामचन्द्र की 10 बीघा भूमि में से 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि में किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं है लेकिन गलत इंद्राज की आड़ में अप्रार्थीगण 1 लगायत 28 नाजायज फायदा उठाकर आराजी को रहन, बय, मुन्तकिल करने पर आमादा है तथा प्रार्थी की 10 बीघा भूमि पर मिट्टी की डोल को हटाने में प्रयासरत है तथा उन्होंने यह धमकी दी कि प्रार्थीगण की 10 बीघा भूमि को वादग्रस्त 15 बीघा भूमि में शामिल करके बेचान करके रहेगें । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 28 को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 29 को भी पाबंद किया जावे कि उनके समक्ष अगर कोई विक्रय पत्र प्रस्तुत हो तो पंजीयन नहीं करे । विद्वान अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 7.10.2015 द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटस का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश

पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को समझे बिना एवं अपना माईन्ड अप्लाई किये बिना प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह नॉन स्पीकिंग कारण रहित आदेश है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस के पिता व पति रामेश्वर को आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 24.6.1960 को 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है तथा रामचन्द्र जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के दादा व पिता थे जिनको भी दिनांक 24.6.1960 को 15 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता की आवंटित आराजी भी स्व0 रामचंद्र के साथ सम्मिलित करते हुए 22 बीधा 15 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी गई । जब रामचन्द्र को 15 बीघा भूमि आवंटित हुई थी तो 22 बीघा 15 बिस्वा भूमि किस प्रकार दर्ज की गई तथा उक्त 22 बीघा 15 बिस्वा की विरासत सभी 6 वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई जो गलत है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को विवादित आराजियात रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करने हेतु रेस्पो0 को पाबंद किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अपीलांट रामेश्वर की 10 बीघा आवंटित भूमि पर काबिज काश्त है तथा 10 बीघा के चारो ओर डोल बनी है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रामेश्वर की आराजी में से 7 बीघा 15 बिस्वा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सभी वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई जिसका कोई आधार नहीं है इसीलिये अपीलांटस ने उक्त राजस्व रिकार्ड को चुनौती दी है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 को निर्णित करने के तीन मुख्य बिन्दुओं यथा प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं के संबंध में कोई विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया है जो कि आवश्यक है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है । रेस्पो0 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि अपीलांटस के पिता/पति को 10 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था तथा रामचन्द्र प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के दादा व पिता थे को भी 15 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था किन्तु अपीलांटस के पिता/पति को आवंटित भूमि में से 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि कर रामचन्द्र को आवंटित 15 बीघा भूमि में सम्मिलित करते हुए 22 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी गई है तथा इस गलत इंद्राज की आड़ में अप्रार्थीगण विवादित भूमि को रहन, बय व मुन्तकिल करने पर आमादा है । अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र

पेश होने पर अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में प्रार्थना पत्र को खारिज करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है तथा न ही धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने हेतु आवश्यक तीन घटक यथा प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के संबंध में कोई विवेचन ही किया है जबकि इस संबंध में विवेचन किया जाना आवश्यक है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांटस द्वारा विवादित भूमि के संबंध में अधी0न्याया0 में वाद विचाराधीन है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश नॉन स्पीकिंग एवं कारण रहित आदेश है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.10.2015 निरस्त किया जाकर पत्रावली अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर निर्णित करे । प्रकरण की परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए हम उभयपक्ष को इस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित समझते है कि उभयपक्ष विवादित आराजियात को प्रार्थना पत्र के निर्णय तक रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करे तथा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें । अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण के उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही प्रभावहीन मानी जावेगी। उभयपक्ष दिनांक 18.7.2019 को अधी0न्याया0 में उपस्थित हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

8. निर्णय आज दिनांक 10.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**